सं.31011/15/2017-स्था.क-IV

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

स्थापना क-IV डेस्क

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक 27 मार्च, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषयः रेल मंत्रालय के कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारी जिनके जीवनसाथी रेल मंत्रालय के कर्मचारी हैं, को छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी)।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि मौजूदा छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के अनुदेशों के अनुसार भारतीय रेल में कार्यरत सरकारी सेवक और उनके जीवनसाथी छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) की सुविधा के हकदार नहीं हैं क्योंकि उन्हें "निशुल्क पास" की सुविधा उपलब्ध है। तथापि, सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में रेलवे कर्मचारियों (और ऐसे कर्मचारी जिनके जीवनसाथी रेलवे सेवक हैं) को छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के दायरे में लाने की सिफारिश की है।

2. रेलवे मंत्रालय के परामर्श से इस विभाग ने इस मामले पर विचार किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित शर्तो के अधीन रेलवे कर्मचारियों को सीसीएस (एलटीसी) नियमावली, 1988 के अंतर्गत 4 वर्ष में एक बार "अखिल भारतीय छुट्टी यात्रा रियायत" का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जा सकती है:

(i) रेलवे कर्मचारी केवल सेवक (पास) नियमों द्वारा पूर्णतः अभिशासित किए जाते रहेंगे और सीसीएस (एलटीसी) नियमावली के अंतर्गत उनके द्वारा "अखिल भारतीय छुट्टी यात्रा रियायत" का लाभ उठाने की सुविधा उक्त पास नियमों के संगत प्रावधान के अंतर्गत विशेष आदेश के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

(ii) रेलवे कर्मचारियों के लिए "अखिल भारतीय छुट्टी यात्रा रियायत" पूर्णतः वैकल्पिक होगा।

(iii) किसी वर्ष में "अखिल भारतीय छुट्टी यात्रा रियायत" का लाभ उठाने के पश्चात् भी, रेलवे कर्मचारियों को आगामी अथवा उत्तरवर्ती शेष वर्षों में "अखिल भारतीय छुट्टी यात्रा रियायत" का लाभ उठाना अनिवार्य नहीं होगा।

(iv) रेलवे कर्मचारियों को कोई "गृहनगर छुट्टी यात्रा रियायत" की अनुमति नहीं होगी और इसी सादृश्य के आधार पर उन्हें कोई गृहनगर परिवर्तित छुट्टी यात्रा रियायत की अनुमति नहीं होगी।

(v) रेलवे कर्मचारी, उन्हें अनुमन्य विशेषाधिकार पासों को, उस कैलेण्डर वर्ष में वापस लौटा देंगे जिस वर्ष वे छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाना चाहते है। तथापि, वे पास नियमों के अंतर्गत यथा-अनुमन्य विशेषाधिकार टिकट आदेशों और अन्य प्रकार के पासों अर्थात् ड्यूटी पास, स्कूल पास, चिकित्सा आधार पर विशेष पासों आदि के पात्र बने रहेंगे। इसके अतिरिक्त, यदि रेलवे कर्मचारी ने पहले ही विशेषाधिकार पास का लाभ उठा लिया है, तो उस वर्ष में उसे छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(vi) रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित किसी अन्य संगठन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रेलवे कर्मचारी विशेषाधिकार पास हकदारी के स्थान पर वैकल्पिक छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के लिए भी पात्र बने रहेंगे।

(vii) लाभार्थियों की परिभाषा उदाहरणार्थ परिवार के सदस्यों, आश्रितों आदि और सीसीएस (एलटीसी) नियमावली में यथा-निर्धारित अन्य शर्तें रेलवे कर्मचारियों द्वारा "अखिल भारतीय छुट्टी यात्रा रियायत" का लाभ उठाने के लिए लागू होंगी, भले ही ऐसे लाभार्थी पास नियमों के अंतर्गत विशेषाधिकार पास के हकदार न हों।

जारी...............

पूर्व पृष्ठ से:

(viii) यदि पति और पत्नी दोनों रेलवे कर्मचारी हैं, और वे "अखिल भारतीय छुट्टी यात्रा रियायत" का लाभ उठाते हैं तो दोनों को उस कैलेण्डर वर्ष में अनुमन्य विशेषाधिकार पासों को वापस लौटाना होगा।

(ix) उन सरकारी कर्मचारियों के मामले में जिनके जीवनसाथी रेलवे में कार्यरत हैं और जो अकेले अथवा परिवार के सदस्यों के साथ अखिल भारतीय छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाना चाहते हैं, तो उसे/उनके लिए उस कैलेण्डर वर्ष में अनुमन्य विशेषाधिकार पासों को वापस लौटाने की शर्त के अध्यधीन उसे/उन्हें अनुमति प्रदान की जा सकती है और इस संबंध में सरकारी सेवक द्वारा एक शपथ-पत्र अपने कार्यालय में दिया जाएगा।

संजीव कुमार 27-3-18

(संजीव कुमार)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष:23093176

सेवा में,

सचिव
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(मानक सूची के अनुसार)

प्रति प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
4. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
5. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
6. संसद पुस्तकालय, नई दिल्ली।
7. सभी संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन।
8. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
9. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
10. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को इस कार्यालय ज्ञापन को विभाग की वेबसाइट (अधिसूचनाएं << कार्यालय ज्ञापन/आदेश << स्थापना << एलटीसी नियम) पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।